



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

गंगानाथ झा परिसर, चन्द्रशेखर आजाद पार्क, प्रयागराज- 211002 (उ.प्र.)

निविदा सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज में विभिन्न सामग्री नीलामी हेतु उपलब्ध है। जैसे स्टेबलाइजर, टेबल छतपंखे, फोटोकापी मशीन, वॉलफैन, कम्प्यूटर, फायर सिलिंडर, कैमरा, प्रिन्टर, लैपटॉप इत्यादि। उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से बन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा/नीलामी की विस्तृत सूचना परिसर की बेबसाइट <https://www.csu-prayagraj.res.in> पर उपलब्ध है।

दिनांक-05.12.2024

निदेशक

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
गंगानाथ झा, परिसर
आजाद पार्क, प्रयागराज

दिनांक 10.12.2024

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या – 023/2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिसर में निम्नलिखित सामग्रियों की नीलामी हेतु प्रतिष्ठत फर्मों से बंद लिफाफों में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा योग्य सामग्रियों को किसी भी कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 से सायं 05.00 बजे तक देखा जा सकता है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक के पास सुरक्षित है। निविदा में सम्मिलित होने के लिये निविदा की राशि डी.डी./नगद रु. 10,000/(दस हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा।

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 20.12.2024 को सायं 05 बजे तक है।
नीलामी योग्य सामग्रियों का विवरण –

क्र.सं.	समग्री का नाम	संख्या
1	ए.सी.	01
2	कैमरा	01
3	सिलिंग फैन	01
4	टेबल फैन	01
5	फायर सिलिण्डर	02
6	वॉल फैन	02
7	केतली इलेक्ट्रिक	01
8	फोटो कापी मशीन,	01
9	स्टेपलाइजर	03
10	प्रिन्टर	01
11	सी.पी.यू.	10
12	टी.एफ.टी.	04
13	टेबल 3x2	03
14	लैपटॉप	01

नीलामी की शर्तें –

1. बोलीदाता को अपना आधार कार्ड, / फोटो पहचान पत्र, के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. नीलामी परिसरीय समिति के समक्ष की जायेगी।
3. उपर्युक्त सामग्रियों की नीलामी जहाँ है, जिस स्थिति में है, के आधार पर की जायेगी।
4. समस्त नीलामी की जाने वाली सामग्री स्कैप के रूप में तथा निष्प्रयोज्य के रूप में है।
5. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण बोली की 25 प्रतिशत की धनराशि (जमा धरोहर धनराशि को घटाकर) तत्काल नीलामी स्थल पर डी.डी/नगद जमा करना अनिवार्य होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि सामग्री लेने/प्राप्त करने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त हो जायेगी।
6. नीलामी प्रक्रिया एवं अन्य में अंतिम निर्णय परिसरीय समिति का मान्य होगा, तथा नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
7. धरोहर राशि किसी राष्ट्रीय पंजीकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट/परिसर के खाते में ही स्वीकार की जायेगी, जो निदेशक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गंगानाथ झा के पक्ष में देय होग।
8. सफल बोली दाताओं को ई-वेस्ट कबाड़ के निस्तारण हेतु रिसायकलिंग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

निदेशक